

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (म0प्र0)

-: संशोधित कार्य विभाजन आदेश :-

क्रमांक/सां.अनु-45/2025

टीकमगढ़, दिनांक 04 जून, 2025

मैं श्रीमती प्रवीणा व्यास, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ (म.प्र.), मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15 की उपधारा (1), धारा 10(दो) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 214, 422, 441, 448 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस कार्यालय द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 104/सां.अनु-45/2025 टीकमगढ़, दिनांक 24/04/2025 में लिपिकीय टंकण त्रुटि होने से उक्त आदेश में आंशिक विलोपन किया जाकर निम्नानुसार संशोधित कार्यविभाजन आदेश जारी करती हूँ :-

क्रं.	न्यायालय का नाम	अधिकार क्षेत्र	स.क्रं.	प्रकरण का प्रकार जिनकी सुनवाई कर, निराकरण किया जाना है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारीगण हेतु तहसील – निवाड़ी				
19.	प्रथम जिला न्यायाधीश, निवाड़ी (श्री सतीश कुमार गुप्ता)	माह जनवरी से दिसम्बर तक	15	मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण :- पुलिस थाना कोतवाली निवाड़ी, महिला थाना निवाड़ी, सिमरा, एवं जैरोन से उद्भूत मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं प्रवर्तन आवेदनपत्र तथा उक्त थाना के अंतर्गत आने वाले मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं अन्य सभी क्लेम याचिकायें।
	--	--	16	व्यवहार अपील:- द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड निवाड़ी, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ओरछा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ओरछा के न्यायालय के अति. न्यायाधीश ओरछा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ओरछा के न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों, आज्ञापतियों एवं आदेशों से उत्पन्न समस्त व्यवहार अपीलें।
20.	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, निवाड़ी (श्री सतीश कुमार गुप्ता)	सत्र खण्ड माह जनवरी से दिसम्बर तक	4	जमानत आवेदन पत्र :- पुलिस थाना कोतवाली निवाड़ी, महिला थाना निवाड़ी, सिमरा, जैरोन के क्षेत्र से उत्पन्न जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482, 483 बी.एन.एस.एस.2023
21.	द्वितीय जिला न्यायाधीश, निवाड़ी (श्री रवि प्रकाश जैन)	माह जनवरी से दिसम्बर तक	15	व्यवहार अपील- समस्त प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड निवाड़ी (प्रथम), प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड निवाड़ी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड निवाड़ी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड निवाड़ी के न्यायालय के प्रथम अति. न्यायाधीश निवाड़ी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ओरछा के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों, आज्ञापतियों एवं आदेशों से उत्पन्न समस्त व्यवहार अपीलें।
	--	--	16	मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण :- पुलिस थाना टेहरका, पृथ्वीपुर, ओरछा एवं सेंदरी से उद्भूत मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं प्रवर्तन आवेदनपत्र तथा उक्त थाना के अंतर्गत आने वाले मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं अन्य सभी क्लेम याचिकायें।

क्रं.	न्यायालय का नाम	अधिकार क्षेत्र	स.क्रं.	प्रकरण का प्रकार जिनकी सुनवाई कर, निराकरण किया जाना है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22.	द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, निवाड़ी (श्री रवि प्रकाश जैन)	सत्र खण्ड माह जनवरी से दिसम्बर तक	5	जमानत आवेदन पत्र :- पुलिस थाना टेहरका, पृथ्वीपुर, ओरछा एवं सेंदरी के क्षेत्र से उत्पन्न जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482, 483 बी.एन.एस.एस.2023

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा तथा उक्त संशोधित आदेश पूर्व में जारी कार्यविभाजन आदेश क्रमांक 104/सां.अनु-45/2025 टीकमगढ़, दिनांक 24/04/2025 का अंश रहेगा तथा पूर्व में जारी उक्त कार्यालयीन आदेश शेष यथावत् रहेगा।

(श्रीमती प्रवीणा व्यास)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
टीकमगढ़ (म.प्र.)

क्रमांक ...1281/सां.अनु-45/2025

टीकमगढ़, दिनांक 04 जून, 2025

प्रतिलिपि :-

1. प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, निवाड़ी
 2. द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, निवाड़ी
 3. प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, निवाड़ी
 4. प्रभारी अधिकारी, तलवाना/फाईलिंग अनुभाग, निवाड़ी
 5. कलेक्टर, निवाड़ी (म0प्र0)
 6. पुलिस अधीक्षक, निवाड़ी (म0प्र0)
 7. अध्यक्ष/सचिव, अधिवक्ता संघ, निवाड़ी
 8. प्रस्तुतकार, न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ (म0प्र0)
 9. अध्यक्ष/सचिव जिला अभिभाषक संघ, टीकमगढ़ (म0प्र0)
 10. प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी-प्रथम/द्वितीय, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़
 11. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (म0प्र0)
 12. संबंधित श्री
- क. 1 लगायत 12 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ई-मेल के माध्यम से प्रेषित।
13. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, टीकमगढ़ की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त आदेश को संबंधित उक्त अधिकारीगण की ओर ई-मेल के माध्यम से अविलंब प्रेषित करावें तथा जिला न्यायालय टीकमगढ़ की वेबसाईट पर अविलंब अपलोड करावें।

संलग्न- संशोधित विविध आदेश।

(श्रीमती प्रवीणा व्यास)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
टीकमगढ़ (म.प्र.)